रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 429] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 1973/अग्रहायण 20, 1895

No. 429] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 1973/AGRAHAYANA 20, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 7th December 1973

SUBJECT.—*Procedure for indenting and despatch of iron and steel.*

S.O. 776(E).—In exercise of the powers conferred by clause 17A of the Iron and Steel (Control) Order, 1956, the Central Government hereby makes the following amendments to the directions contained in the Notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Heavy Engineering No. S.O. 1566 dated 7th April, 1971.

The existing direction No. 4 shall be substituted by the following:—

"In respect of those categories of iron or steel which are within the purview of the Steel Priority Committee aforesaid, consumers who have orderes booked with the main producers and who are interested in getting priority for delivery during any quarter should approach the Committee directly endorsing a copy of their requisition to their sponsoring authorities."

[No. SC(1)-1(5)/71-A.]

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1973

विषय.—लोहे और इस्पात के लिए मांग-पत्र भेजने तथा उसके प्रेषण की प्रक्रिया।

का० आ० 776 (अ).—लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के खण्ड 17ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1566, तारीख 7 अप्रैल, 1971 में अन्तर्विष्ट निदेशों में निम्नलिखित संशोधन करती है :

विद्यमान निदेश सं० 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा —

"लोहे या इस्पात के उन प्रवर्गों के बाबत जो पूर्वोक्त इस्पात प्राथमिकता समिति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ऐसे उपभोक्ताओं को, जिन्होंने मुख्य उत्पादकों के पास आर्डर बुक करवा रखे हों और जो किसी तिमाही में परिदान के लिए प्राथमिकता प्राप्त करना चाहते हों, अपनी मांग की एक प्रति अपने प्रायोजक प्राधिकारियों को पृष्ठांकित करते हुए, समिति को सीधे लिखा पढ़ी करनी चाहिए।"

[सं० एस० सी० (1)–1(5)/71–क]

SUBJECT.—*Setting up of Joint Plant Committee and Steel Priority Committee.*

S.O. 777(E).—In exercise of the powers conferred by clause 17B of the Iron and Steel (Control) Order, 1956, the Central Government hereby makes the following amendments to paragraph 2(a) of the Notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Heavy Engineering No. S.O. 1567/ESS/COM/Iron and Steel, dated 7th April, 1971, detailing the functions of the Joint Plant Committee:

(A) For the existing function No. 5 the following shall be substituted:—

"The Committee shall give wide publicity to the procedure to be followed by the indentors and may revise, if necessary, forms of indents from time to time. The Committee shall scrutinise the indents submitted to it and after scrutiny choose on a rational basis the steel plant(s) and forward the indents to them for booking of the orders. The Committee may prescribe the financial and other formalities to be completed by the various classes of indentors, prior to the steel plant accepting the indent for issue of sale orders."

(B) The existing function No. 6 shall be substituted by the following:—

"The Committee shall help the Steel Priority Committee in deciding the priorities for despatch of iron or steel. For this purpose, in the light of the requirements of individual consumers, the Committee shall discuss with the main producers and such of the sponsoring authorities as it considers necessary, the extent to which their requirements and estimated production can be matched and thereupon send its consolidated proposal with its recommendations to the Steel Priority Committee. In making such proposals the Committee shall have due regard to the need to minimise to the extent possible the freight payable for the movement of any category of iron or steel indented for."

[No. SC(1)-1(5)/71-B.]

A. N. RAJAGOPALAN, Dy. Secy.

विषय :—संयुक्त संयंत्र समिति तथा इस्पात प्राथमिकता समिति का गठन ।

का० आ० 777 (अ).—लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1656 के खण्ड 17 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1567/आवश्यक/वस्तु/लोहा और इस्पात, तारीख 7 अप्रैल, 1971 के पैरा 2(क) में, जिसमें संयुक्त संयंत्र समिति के कृत्यों के बारे में बताया गया है, निम्नलिखित संशोधन करती है :

(क) विद्यमान कृत्य सं० 5 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :—

"समिति, मांग-कर्ताओं द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का व्यापक प्रचार करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो मांग-पत्रों के प्ररुपों में समय-समय पर संशोधन करेगी । समिति उसे प्रस्तुत किए गए सभी मांग पत्रों की संवीक्षा करेगी और संवीक्षा के पश्चात् युक्ति-संगत आधार पर इस्पात संयंत्रों को चुनेगी और आर्डर बुक करने के लिए उनको मांग-पत्र भेजेगी । समिति, ऐसी वित्तीय और अन्य औपचारिकताएं विहित कर सकती है, जो इस्पात संयंत्र द्वारा विक्रेय आर्डर जारी करने हेतु मांग-पत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व विभिन्न वर्गों के मांग-कर्ताओं को पूरी करनी होंगी ।"

(ख) विद्यमान कृत्य सं० 6 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :—

"समिति, लोहा या इस्पात के प्रेषण के लिए प्राथमिकताओं का विनिश्चय करने में इस्पात प्राथमिकता समिति की सहायता करेगी । इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक उपभोक्ता की अपेक्षाओं को देखते हुए, समिति मुख्य उत्पादकों और ऐसे प्रायोजक प्राधिकारियों के साथ जिन्हें वह आवश्यक समझे, इस सम्बन्ध में बातचीत करेगी कि उनकी अपेक्षाएं और अनुमानित उत्पादन किस सीमा तक मेल खा सकते हैं, और उसके पश्चात् वह इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों सहित अपना समेकित प्रस्ताव इस्पात प्राथमिकता समिति को भेजेगी । ऐसे प्रस्ताव करते समय, समिति मांग किए गए लोहे या इस्पात के किसी प्रवर्ग के वहन के लिए देय भाड़े को सम्भावनीय मात्रा में कम करने की आवश्यकता पर सम्यक ध्यान देगी ।"

[सं० एस० सी० (1)-1(5)/71-ख]

ए० एन० राजगोपालन, उप सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978